[2018] 5 एस.सी.आर. 587

यूनियन ऑफ इंडिया

बनाम

मैसर्स वरिंदरा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड आदि।

(2018 की सिविल अपील संख्या 3994-3995) 19 अप्रैल, 2018

[आर. के. के. अग्रवाल और अशोक भूषण, जे.जे.]

अनुबंध - उसमें खंड, वृद्धि के कारण कुछ भुगतानों की प्रतिपूर्ति पर रोक लगाना - अपीलकर्ता और प्रतिवादी-ठेकेदार के बीच अनुबंध की व्याख्या - अनुबंध के निर्वाह के दौरान, जारी अधिसूचना जिसके द्वारा श्रम की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई थी - अंतिम विधेयक के साथ, प्रतिवादी ने श्रम की मजदूरी में इस तरह की वृद्धि के मद्देनजर मजदूरी की प्रतिपूर्ति का भी दावा किया - अपीलकर्ता द्वारा खारिज की गई अतिरिक्त राशि का दावा - विवाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित - प्रतिवादी के पक्ष में मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय - अपीलकर्ता द्वारा चुनौती, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज - अपील पर, कहा गया: पार्टियां अनुबंध के मामले में अपने स्वयं के नियम और शर्तों को तय करने के लिए स्वतंत्र हैं और पार्टियों के इरादे को ध्यान में रखते हुए अदालतों द्वारा इसका अर्थ लगाया जाना है - तत्काल मामले में, धारा 19 को ध्यान में रखते हुए यदि संविदा के निर्वाह के दौरान ऐसी कोई वृद्धि हुई तो ठेकेदार को किसी भी प्रकार की वृद्धि के संबंध में कोई प्रतिपूत नहीं की जानी थी - सी1.19 में प्रयुक्त शब्द "जो भी" से पता चलता है कि सरकार की कार्रवाई के कारण भी होने वाली किसी भी वृद्धि की प्रतिपूर्ति भी नहीं की जानी थी - इसके अलावा, C1.6.3 को पढ़ने पर, जो विचाराधीन मुद्दे से भी संबंधित है, यह स्पष्ट है कि कोई वृद्धि प्रतिपूर्ति नहीं की जानी थी - इसलिए, ऐसे खंडों की उपस्थिति में, जिन्हें प्रतिवादी ने अनुबंध स्वीकार करने से पहले स्वेच्छा से सहमति व्यक्त की थी, किसी भी प्रस्थान की अनुमति नहीं दी जा सकती है - प्रतिवादी अधिसूचना के कारण वृद्धि के कारण न्यूनतम मजदूरी से अधिक की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि यह सीएल.19 आर/डब्ल्यू सीएल.6.3 - मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के खिलाफ होगा। 1996 - एसएस.5, 34. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के उद्देश्य के तहत कार्यवाही 587 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 5 एस.सी.आर.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

कहा: 1.1 मध्यस्थता का प्राथमिक उद्देश्य त्वरित, प्रभावी, सस्ती और त्वरित तरीके से अंतिम निपटान तक पहुंचना है। मध्यस्थता के संबंध में कानून को विनियमित करने के लिए, विधायिका कानून के साथ आई जिसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के रूप में जाना जाता है। मध्यस्थता प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, विधायिका ने उन मामलों में अदालतों की भूमिका को प्रतिबंधित कर दिया जहां मामला मध्यस्थता के अधीन है। 1996 के अधिनियम की धारा 5 ने विशेष रूप से अदालतों के हस्तक्षेप को कुछ हद तक प्रतिबंधित कर दिया। दूसरे शब्दों में, यह केवल असाधारण परिस्थितियों में है, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है, अदालत उस विवाद में हस्तक्षेप करने की हकदार है जो मध्यस्थता का विषय है। इस तरह का हस्तक्षेप मध्यस्थता कार्यवाही से पहले, या बाद में हो सकता है, जैसा भी मामला हो। संक्षेप में, अदालत मध्यस्थता की विषय वस्तु में हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो। [पैरा 8] [592-A-C]

1.2 यह कानून की अच्छी तरह से स्थापित तोप है कि पार्टियां अनुबंध के मामले में अपने नियमों और शर्तों को तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस मामले में, विशेष शर्तों का खंड 19 वृद्धि के कारण कुछ भुगतानों की प्रतिपूर्ति पर रोक के मुद्दे से संबंधित है। उक्त खंड को पढ़ने पर, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने यह स्पष्ट कर दिया कि ठेकेदार इस खंड को ध्यान में रखते हुए अपनी दर का उल्लेख करेगा कि अनुबंध के निर्वाह के दौरान यदि ऐसी कोई वृद्धि होती है तो ठेकेदार को किसी भी वृद्धि के बारे में कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी, जिस पर प्रतिवादी ने खुली आंखों से सहमति व्यक्त की थी। खंड 19 में प्रयुक्त शब्द "जो भी" से पता चलता है कि सरकार की कार्रवाई के कारण होने वाली किसी भी वृद्धि की प्रतिपूर्ति भी नहीं की जाएगी। [पैरा 9] [592-डी, एफ-जी]

1.3 इसके अतिरिक्त, विशेष शर्तों का खंड 6.3, विशेष रूप से, वर्तमान मुद्दे से संबंधित है। खंड 6.3 को खंड 19 के साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि विनियमन के मामले में भी कोई वृद्धि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। इसलिए, ऐसे खंडों की उपस्थिति में, जिन्हें प्रतिवादी ने अनुबंध स्वीकार करने से पहले स्वेच्छा से सहमति व्यक्त की थी, किसी भी प्रस्थान की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, अब प्रतिवादी भारत सरकार

बनाम मैसर्स वरिंदरा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड आदि की अधिसूचना के कारण वृद्धि के कारण न्यूनतम मजदूरी की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता

है।

हरियाणा। यदि अनुबंध के नियमों और शर्तों से किसी भी प्रस्थान की अनुमति दी जाएगी, तो यह अनुबंध के मूल उद्देश्य को नष्ट कर देगा, बशर्ते ऐसी शर्तें मनमानी न हों। [पैरा 10] [592-जी; 593-डी-ई]

1.4 यह एक स्थापित कानून है कि व्याख्या की प्रक्रिया एक उचित व्यक्ति के वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण पर आधारित है, जिस संदर्भ में अनुबंध करने वाले पक्षों ने अपना समझौता किया है। अनुबंध की शर्तों को पार्टियों के इरादे को ध्यान में रखते हुए अदालतों द्वारा माना जाएगा। अदालतों को कोई काल्पनिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि इससे दोनों पक्षों में से किसी के लिए पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है। [पैरा 12] [594-बी, डी]सिविल

अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल अपील संख्या 3994-3995 नई दिल्ली

स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 28052012 के निर्णय और आदेश से क्रमश 2012 के एफएओ (ओएस) 238 और एफएओ (ओएस) 239 में संशोधन किया गया है।

ए.के. सांघी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुरेंद्र कुमार गुप्ता, सुश्री हनी कुमारी, एम.के. मारोरिया (श्रीकांत एन. तेरदल के लिए), अपीलकर्ता के वकील प्रतिवादी की ओर से अखिल सिब्बल, दीपक खुराना, सुश्री अदिति शर्मा, उमेश कुमार खेतान, वकील।

न्यायालय का निर्णय

आर. के. अग्रवाल, जे. 1 द्वारा सुनाया गया था। छुट्टी मंजूर कर ली गई।

2. इन दो अपीलों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नई दिल्ली में एफएओ (ओएस) संख्या 238 और 239 में पारित दिनांक 28.05.2012 के आम फैसले और आदेश के खिलाफ प्राथमिकता दी जाती है, जिसके तहत उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हुए अपीलकर्ता द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया था। चूंकि इन दोनों अपीलों में विवादास्पद प्रश्न समान है, इसलिए दोनों को इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जाएगा।

3. संक्षिप्त तथ्य:-

(क) यहां अपीलकर्ता भारत संघ है और प्रतिवादी यहां ठेकेदार है। दिनांक 30-10-2006 को अपीलकर्ता ने हिसार में आवासीय आवासों के निर्माण के लिए दो निविदाएं जारी कीं। उसके अनुसरण में, अपीलकर्ता को विभिन्न कंपनियों की निविदाएं प्राप्त हुईं। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 5 एस.सी.आर.

(ख) प्रतिवादी-ठेकेदार का निम्नतम उद्धरण होने के कारण, अपीलकर्ता द्वारा इसकी निविदा स्वीकार कर ली गई थी। इन दोनों ठेकों की एकमुश्त राशि क्रमश: 39,09,80,362.61 रुपये और 35,21,99,854.30 रुपये थी। नतीजतन, अपीलकर्ता और प्रतिवादी-ठेकेदार ने औपचारिक अनुबंध में प्रवेश किया और अनुबंध के नियम और शर्तें निर्धारित कीं, जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दोनों बाध्य होंगे और विवाद के मामले में मध्यस्थता का खंड भी जोड़ा।

(ग) संविदा की शर्तों के अनुसार, प्रतिवादी ने दिनांक 20-03-2007 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कार्य शुरू किया और अंतिम रूप से पूरा होने की निर्धारित विस्तारित समयावधि के भीतर कार्य पूरा कर लिया। इस मोड़ पर, प्रतिवादी ने कुछ अतिरिक्त दावों के साथ अंतिम बिल प्रस्तुत किया। अपीलकर्ता द्वारा अतिरिक्त राशि के दावे को खारिज कर दिया गया था। नतीजतन, प्रतिवादी ने मध्यस्थता खंड को लागू किया और विवाद को अनुबंध के तहत प्रदान किए गए विद्वान मध्यस्थ श्री सुनील चोपड़ा, मुख्य अभियंता (अनुबंध) को भेज दिया गया।

(घ) विद्वान मध्यस्थ ने दिनांक 24-08-2011 को यह निर्णय दिया। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि प्रतिवादी ने मध्यस्थता कार्यवाही में कुल 12 दावों का उल्लेख किया। इन दावों में से, दो को विद्वान मध्यस्थ द्वारा खारिज कर दिया गया था और एक दावे को प्रतिवादी द्वारा आंशिक रूप से वापस ले लिया गया था और शेष दावों का फैसला प्रतिवादी के पक्ष में किया गया था।

(ङ) व्यथित महसूस करते हुए अपीलकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2011 की ओएमपी संख्या 890 और 891 दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिनांक 16.03.2012 के सामान्य आदेश के तहत दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया और विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को बरकरार रखा।

(च) उक्त आदेश से असंतुष्ट होने के कारण, अपीलकर्ता ने 2012 की एफएपी (ओएस) संख्या 238 और 239 के रूप में दो अलग-अलग प्रथम अपीलों को प्राथमिकता दी। तथापि, इन्हीं दो अपीलों को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 28-05-2012 के निर्णय और आदेश के तहत खारिज कर दिया था।

(छ) परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से ये दो अपीलें दायर की हैं।

4. हमने पक्षकारों के विद्वान वरिष्ठ वकीलों की प्रस्तुतियों पर अपना विचारशील विचार किया है और हमारे सामने रखे गए रिकॉर्ड पर सामग्री का अवलोकन किया है। भारत संघ बनाम मैसर्स वरिंदरा कंस्ट्रक्शंस

लिमिटेड आदि [आरके अग्रवाल, जे।]

विचारार्थ बिन्दु:-

5. वर्तमान मामला केवल इस सीमा तक ही सीमित है कि क्या मध्यस्थ का निर्णय और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष खंड 19 के स्पष्ट प्रावधान के विपरीत हैं, जिसके अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, सांविधिक वृद्धि के कारण श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि के लिए ठेकेदार को कोई वृद्धि स्वीकार्य नहीं है, जिसे ठेकेदार को किसी भी कारण से कार्य के निष्पादन के दौरान वहन करना पड़ सकता है?

प्रतिद्वंद्वी विवाद: -

6. मामले की सुनवाई शुरू होते ही अपीलकर्ता-भारत संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी का संबंध अनुबंध के नियमों और शर्तों से संचालित होता है और विशेष शर्तों के खंड 19 के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "ठेकेदार को कोई वृद्धि, प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। अन्य बातों के साथ-साथ, अनुबंध के निष्पादन के दौरान श्रम की मजदूरी"। इसलिए, हरियाणा राज्य द्वारा जारी अधिसूचना जिसमें अनुबंध के निर्वाह के दौरान श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई है, ठेकेदार को श्रम मजदूरी के कारण किसी भी अतिरिक्त राशि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देती है। इसलिए, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और प्रश्न के तहत मध्यस्थ पुरस्कार में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तत्काल अपील में चुनौती मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (संक्षिप्तता के लिए "अधिनियम") की रूपरेखा के भीतर नहीं आती है। कथित चुनौतियां अनुबंध की व्याख्या से संबंधित कुछ दावों से संबंधित हैं जो मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और तथ्यों के निष्कर्ष जो पार्टियों के बीच अंतिम और बाध्यकारी हैं, इसलिए, इस न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए यदि की गई व्याख्या प्रशंसनीय है और इस न्यायालय के विवेक को झटका नहीं देती है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंडपीठ का आक्षेपित निर्णय अच्छी तरह से तर्कसंगत है और कानूनों की तोप पर आधारित है जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है। इसलिए, ये अपीलें गुण-दोष से रहित हैं और खारिज किए जाने के योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 5 एस.सी.आर.

चर्चा: -

8. मध्यस्थता का प्राथमिक उद्देश्य एक त्वरित, प्रभावी, सस्ती और त्वरित तरीके से अंतिम निपटान तक पहुंचना है। मध्यस्थता के संबंध में कानून को विनियमित करने के लिए, विधायिका कानून के साथ आई जिसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के रूप में जाना जाता है। मध्यस्थता प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, विधायिका ने उन मामलों में अदालतों की भूमिका को प्रतिबंधित कर दिया जहां मामला मध्यस्थता के अधीन है। अधिनियम की धारा 5 ने विशेष रूप से कुछ हद तक अदालतों के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित कर दिया। दूसरे शब्दों में, यह केवल असाधारण परिस्थितियों में है, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है, अदालत

उस विवाद में हस्तक्षेप करने की हकदार है जो मध्यस्थता का विषय है। इस तरह का हस्तक्षेप मध्यस्थता कार्यवाही से पहले, या बाद में हो सकता है, जैसा भी मामला हो। संक्षेप में, अदालत मध्यस्थता की विषय वस्तु में हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो।

9. यह कानून की अच्छी तरह से स्थापित तोप है कि पार्टियां अनुबंध के मामले में अपने नियमों और शर्तों को तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस मामले में, विशेष शर्तों का खंड 19 वृद्धि के कारण कुछ भुगतानों की प्रतिपूर्ति पर रोक के मुद्दे से संबंधित है। उपर्युक्त खंड 19 को पुन प्रस्तुत करना उपयुक्त है 19 , मूल्यों में भिन्नता की प्रतिपूत/वापसी- सामग्री और ईंधनों के मूल्य में वृद्धि और श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि के लिए ठेकेदार को कोई वृद्धि, प्रतिपूत नहीं की जाएगी जो ठेकेदार को किसी भी कारण से कार्य के निष्पादन के दौरान वहन करनी पड़ सकती है। ठेकेदार तदनुसार अपनी दरों का उल्लेख करेगा।

उपर्युक्त खंड को पढ़ने पर, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने यह स्पष्ट कर दिया कि ठेकेदार इस खंड को ध्यान में रखते हुए अपनी दर का उल्लेख करेगा कि अनुबंध के निर्वाह के दौरान यदि ऐसी कोई वृद्धि होती है तो ठेकेदार को किसी भी वृद्धि के बारे में कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी, जिस पर प्रतिवादी ने खुली आंखों से सहमति व्यक्त की थी। खंड 19 में प्रयुक्त शब्द "जो भी" से पता चलता है कि सरकार की कार्रवाई के कारण होने वाली किसी भी वृद्धि की प्रतिपूर्ति भी नहीं की जाएगी।

10. इस समय, हम यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि विशेष शर्तों का खंड 6.3, विशेष रूप से, वर्तमान मुद्दे से संबंधित है। सुविधा के लिए, इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: भारत संघ बनाम मैसर्स वरिंदरा कंस्ट्रक्शंस

लिमिटेड आदि [आरके अग्रवाल, जे।

"न्यूनतम मजदूरी देय: 6.1। डीजी एमएपी की शर्त 51 अनुबंधों की सामान्य शर्तों को देखें। ठेकेदार भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा, जो भी अधिक हो। 6.2 डीजी एमएपी की शर्त 51 में उल्लिखित उचित मजदूरी अनुबंधों की सामान्य शर्तों को ऊपर उल्लिखित न्यूनतम मजदूरी के समान माना जाएगा। 6.3. ठेकेदार का कोई दावा नहीं होगा, यदि स्थानीय कारक और / या नियमों के कारण उसे काम के निष्पादन के दौरान ऊपर वर्णित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। (हमारे द्वारा जोर दिया जाता है) खंड 6.3 को खंड 19 के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि विनियमन के मामले में भी कोई वृद्धि प्रतिपूत नहीं की जाएगी। इसलिए, ऐसे खंडों की उपस्थिति में, जिन्हें प्रतिवादी ने अनुबंध स्वीकार करने से पहले स्वेच्छा से सहमति व्यक्त की थी, किसी भी प्रस्थान की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, अब प्रतिवादी हरियाणा सरकार की अधिसूचना के कारण वृद्धि के कारण न्यूनतम मजदूरी से अधिक की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता है। यदि अनुबंध के नियमों और शर्तों से किसी भी प्रस्थान की अनुमति दी जाएगी, तो यह अनुबंध के मूल उद्देश्य को नष्ट कर देगा, बशर्ते ऐसी शर्तें मनमानी न हों। 11. आक्षेपित निर्णय में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पैरा 6 और 7 में निम्नानुसार कहा: "6. यह कहना पर्याप्त होगा कि खंड 19 और 25 को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। जबकि खंड 19 श्रमिकों की मजदूरी के संबंध में भुगतान की जाने वाली वृद्धि को प्रतिबंधित करता है, खंड 25 में राज्य सरकार द्वारा घोषित कानून द्वारा उस पर प्रभाव पड़ने पर ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी वृद्धि की प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूनतम मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत सांविधिक रूप से अधिसूचित किया गया है। हम ध्यान दें कि विद्वान मध्यस्थ ने उक्त मद के तहत लाभ प्रदान किए हैं, लेकिन ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी में 37.46% की वृद्धि का पूरी तरह से प्रतिपूर्ति नहीं की है। विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिया गया तर्क यह है कि ठेकेदार यह परिकल्पना कर सकता था कि अनुबंध की अवधि के दौरान मजदूरी में कुछ वृद्धि होगी। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 5 एस.सी.आर.

7. विद्वान मध्यस्थ द्वारा की गई व्याख्या, यदि बिल्कुल भी दोषपूर्ण है, तो क्या ठेकेदार को नुकसान पहुंचाना है, जिसका कारण खंड 25 है, जो अभिव्यक्ति से शुरू होता है? फिर भी? इसे खंड 19 के अपवाद के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और यदि ऐसा है, तो न्यूनतम मजदूरी में पूरी वृद्धि जो एक सरकारी अधिसूचना के परिणामस्वरूप हुई थी, उसकी भरपाई की जानी आवश्यक थी।

12. यह एक स्थापित कानून है कि व्याख्या की प्रक्रिया एक उचित व्यक्ति के वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण पर आधारित है, जिस संदर्भ में अनुबंध करने वाले पक्षों ने अपना समझौता किया है। आक्षेपित निर्णय के उक्त दो पैराग्राफों के अवलोकन पर, हम यह समझने में विफल हैं कि उच्च न्यायालय ने अनुबंध के खंड 25 के प्रकाश में खंड 19 की व्याख्या किन मापदंडों पर की है। दोनों खंड अलग-अलग स्तर पर खड़े हैं। खंड 19 अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी के मामले से संबंधित है जबकि

खंड 25 चुंगी बिक्री कर और अन्य शुल्कों से संबंधित है। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई इस तरह की व्याख्या कानून के मूल सिद्धांत के खिलाफ है जो कहती है कि अनुबंध की शर्तों को पार्टियों के इरादे को ध्यान में रखते हुए अदालतों द्वारा माना जाएगा। अदालतों को कोई काल्पनिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि इससे दोनों पक्षों में से किसी के लिए पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है।

13. यहां यह ध्यान रखना उचित है कि खंड 19 किसी भी शब्द "अधीन" से शुरू नहीं होता है। इसके अलावा, अनुबंध में कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो विशेष रूप से वृद्धि के मामले में मजदूरी की प्रतिपूर्ति की अनुमति देता है। इन बातों के अभाव में, हमारा सुविचारित मत है कि कानून में यह अनुमेय नहीं है कि खंड 19 की व्याख्या खंड 25 के आलोक में की जानी चाहिए। इसके अलावा विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने खंड 25 के शीर्षक और पहले भाग की परवाह किए बिना, खंड 25 के दूसरे भाग के साथ खंड 19 की व्याख्या की, जो कानून की तोपों के खिलाफ है।

14. संक्षेप में, खंड 19 को खंड 25 के दूसरे भाग के प्रकाश में नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि दोनों अलग-अलग स्तर पर हैं अर्थात, अलग-अलग मुद्दों से निपटते हैं। इसलिए, वर्तमान मामले में प्रतिवादी-ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी में किसी भी वृद्धि का दावा करने का हकदार नहीं है क्योंकि यह खंड 6.3 के साथ पढ़े गए खंड 19 की शर्त के खिलाफ होगा।

15. उपर्युक्त विस्तृत चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा सुविचारित विचार है कि उच्च न्यायालय ने कानून में गलती की है। तदनुसार, हम इन अपीलों को अनुमति देने के इच्छुक हैं और नीचे दी गई अदालतों के निर्णय के साथ-साथ अधिनिर्णय को भी रद्द करते हैं। पार्टियों को अपनी लागत खुद वहन करनी होगी।

दिव्या पांडे ने अपील स्वीकार की।

Digitally signed by Alka Pandey
Date: 2023.10.26 12:26:46 ULAT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court